

## गरीब आदमी की आमदनी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता : मनोहर लाल

करनाल। मुख्यमंत्री ने बीसी के माध्यम से अंत्योदय मेलों की ली फीडबैक, कहा- मेलों में जो खामिया नजर आई तुरंत करें दुरुस्त, अगले 15 दिनों में दोबारा लगाने वाले मेलों में वितरित करें स्वीकृत पत्र, काउंसलर टीम घर-घर जाकर पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए करें प्रेरित।

करनाल 01 दिसम्बर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब व्यक्तियों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से खंड स्तर पर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित किए गए मेलों की चांदीगढ़ से बीसी के माध्यम से फीडबैक ली तथा सुधार के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने जिलों से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मेलों में जो खामिया नजर आई, उन्हें दुरुस्त करें तथा 18 से 60 वर्ष तक की आयु के हर गरीब आदमी को किसी ना किसी विभाग को स्कीम से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अंत्योदय मेलों से एक दिन पहले हर जिला में काउंसलर की टीम घर-घर जाकर पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर ना केवल स्वयं आमनिर्भर बने बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दिलाने में सहायक मिलें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि वार्षिक 1 लाख रुपये से कम आय वाले गरीब लोगों की सूची में शामिल अंतिम व्यक्ति की आमदनी बढ़ाना है और जिला में हर परिवार की आमदनी 1 लाख रुपये वार्षिक से उपर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी को लेकर सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत खंड स्तर पर मेलों का आयोजित करवाए जा रहे हैं। सभी विभागों के अधिकारी इन मेलों के सफल आयोजन को लेकर मिलजूल कर कार्य करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत तीन चरणों में खंड स्तर पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जाना है। जिसके प्रथम चरण में वार्षिक एक लाख रुपये से कम आय वाले परिवार, दूसरे चरण में 1 लाख 80 हजार रुपये से कम तथा तीसरे चरण में 3 लाख रुपये से कम आय वाले लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।

बीसी में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मुख्यमंत्री को खंड स्तर पर आयोजित कुंजपुरा मेले का अनुभव साझा करते हुए सुझाव दिया कि मेले में आए सक्षम युवाओं को रोजगार विभाग की विस्तृता सूची में ना रखकर प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाए, कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए फीस माफ की जाए तथा पीपीपी कार्ड होने के बावजूद जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र व रिहायशी प्रमाण पत्र को अनिवार्य ना किया जाए। इस सुझाव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तुरंत सज्जन लिया और फीस माफ करने की घोषणा की और यह भी कहा कि लोगों के परिवार पहचान पत्र में जाति, आय तथा रिहायशी का प्रमाण स्वत्यापित होने के कारण इनकी जमा करवाने की आवश्यकता नहीं रही तथा सक्षम युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मुहैया करवाने का निर्णय लिया।

## कृषि कानूनों की वापसी के समय संसद में हंगामा क्यों

करनाल। 29 नवंबर को लोकसभा में जब सरकार की ओर से तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की संवेदनाक प्रक्रिया हो रही थी, तब कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इससे कानून वापसी के समय लोकसभा में चर्चा नहीं हो सकी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिला ने बार बार कहा कि वे कानून वापसी के प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी दलों के सांसद जोर जोर से चिल्हाते रहे। सवाल उठाता है कि कृषि कानूनों की वापसी के समय विपक्षी सांसदों ने हंगामा क्यों किया? विपक्षी दलों की इस राजनीति को किसानों को समझना चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपने स्वार्थ परे कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष से मांग की जा रही थी कि सरकार कृषि कानूनों को वापस लें, लेकिन जब कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा गया तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। देश को यह जानने का अधिकार है कि सरकार ने किन कारणों से कानूनों को वापस लें, लेकिन विपक्षी दल के सांसद देशवासियों को अपने अधिकारों से बचाए कर रहे हैं। पिछले दिनों जब गुरु नानक देव जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी, तब दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के नेताओं ने कहा कि संसद में कानून वापसी के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। ऐसे नेताओं का कहना रहा कि हमें प्रधानमंत्री की घोषणा पर भरोसा नहीं है। किसानों के नेताओं ने कुछ भी कहा है, लेकिन सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव रख दिया। सांसदों के हांगमे के बीच लोकसभा में कानून वापसी का प्रस्ताव मंजूर भी हो गया। यानी प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी उस पर सरकार ने अमल कर दिया है। दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान अभी भी जाम लगा कर बैठे हैं, वे माने या नहीं लेकिन कुछ लोग किसानों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। सब जानते हैं कि एक वर्ष पहले जब कृषि कानूनों को संसद में मंजूर किया गया, तब भी सांसदों ने हंगामा किया था। इसलिए मंजूरी के समय भी चर्चा नहीं हो सकी और अब जब कानून को वापस लिया जा रहा है, तब भी विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी है। असल में विपक्षी दलों का मकसद किसानों की मदद करना नहीं है। विपक्षी दलों का मकसद किसानों की आड़ में अपनी राजनीति करना है। सवाल यह भी है कि जब संसद से कृषि कानून रह हो गए हैं, तब दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन क्यों किया जा रहा है। देश का आम किसान और नागरिक अब आंदोलन को चलाने वालों के बारे में अच्छी तरह समझ गया है।

## 6.48 लाख क्रिंटल गन्ने की पिराई

करनाल। दि करनाल सहकारी चीनी मिल लिमिटेड की प्रबंध निदेशक अदिति ने बताया कि मिल द्वारा अब तक 6.48 लाख क्रिंटल गन्ने की पिराई की जा चुकी है। मिल ने अपना पिराई सत्र 9 नवम्बर 2021 से शुरू कर दिया है तथा मिल द्वारा पूरी क्षमता के साथ पिराई का कार्य जारी है।

प्रबंध निदेशक ने बताया कि मिल द्वारा किसानों के गन्ने की ट्रालियों को समय पर खाली किया जाता है तथा मिल अपनी पूरी पिराई क्षमता 35 हजार क्रिंटल प्रतिदिन की दर से कर रहा है। इस मिल द्वारा 56 लाख क्रिंटल गन्ना पिराई का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि अपनी पर्ची किसी दूसरे मिल या अन्य प्रांतों के किसानों को न दें। यदि कोई किसान ऐसा करता पाया जाता है तो उनका बाँड़ व पर्ची बंद कर दी जाएगी व उनका बाँड़ कैंसल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिल के गन्ना अधिकारियों द्वारा रोजाना दूसरे प्रांतों व मिल के एरिया से बाहर से गन्ने की ट्रालियां पकड़ी जा रही हैं और उन किसानों के बाँड़ व पेमेंट बंद की जा रही है। इसलिए सभी किसान अपनी पर्ची मिल एरिया के बाहर व दूसरे प्रांतों के किसानों को न दें तथा पिराई कार्य में मिल प्रशासन का सहयोग करें।

एमडी महोदय यह बात छुपा रही है कि मिल के नवीनीकरण के बाद जो पिराई 35000 क्रिंटल प्रतिदिन होनी चाहिए थी वह केवल 20-22 हजार क्रिंटल हो रही है। इससे जो चीनी बन भी रही है उसका अधिकांश बर्बाद हो रहा है। बीते सप्ताह एक बीडियों में उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि जब तक मिल द्वारा उत्पादित अतिरिक्त बिलियों को बाहर भेजने का इंतजाम नहीं हो पायेगा तब तक मिल पूरी क्षमता पर नहीं चल सकती, उन्हीं के अनुसार यह काम जनवरी से पहले होने वाला नहीं है।

## मुख्यमंत्री के सात साल में कंगाल बना हरियाणा: त्रिलोचन सात साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पूछे सात सवाल

करनाल। करनाल के विधायक तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री के सात साल पूरे होने पर आज कांग्रेस ने विरोध और सबाल दिवस मनाया। आज कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह की अगुआई में सेकड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विरोध मार्च निकाल कर सीटीएम को ज्ञापन दिया बाद में मंहगाई के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका इस अवसर पर नारेवाजी की गई। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने बताया कि हरियाणा में बीजेपी के सात साल लोगों के लिये जी का जंजाल साबित हुआ। जो कुछ कांग्रेस ने छोड़ उसे बीजेपी ने बर्वाद कर दिया।

आज प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। मंहगाई ने लोगों को कंगाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आप की सरकार तथा करनाल की विधायकी के सात साल पूरे हो रहे हैं हरियाणा के साथ करनाल के लोगों को आपसे काफी आशाएं थी। आप हरियाणा में लोकराज लेकर आएंगे। आप जिस तरह से अपनी सरकार के सात बड़े काम गिनवा रहे हो।

करनाल के लोगों की तरफ से हम आपसे सात सबाल कर रहे हैं। आप हरियाणा में आपसे उत्तर चाहता है। आप सबसे ज्यादा जनविरोधी विधायक साबित हुए हैं।



### यह है मुख्यमंत्री से सात सवाल

- क्या मुख्यमंत्री नारी अपराधियों से सुरक्षित है? भृष्टाचार मुक्त है?
- क्या स्मार्ट सिटी में गड़बड़ घोटाला नहीं है। शहर में वाई फाई, ई रिक्शा, शो-रोम, सिटी बस सर्विस, बाई पास, मुगल केनाल पार्ट 3, नगरनिगम दफ्तर की जगह मल्टी पार्किंग स्लम बस्तियों में पानी, लाइट, सड़कों, तथा 80 करोड़ खर्च कर सीवरेज व्यवस्था सब ठीक चल रहा है?
- क्या किसा मजदूर-व्यापारी-कर्मचारी-वेरोजगारों का शोषण नहीं हो रहा है? एग्रो माल की लीलामी उचित ह